न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक 1159–तीन/2014 निगरानी – विरूद्व आदेश दिनांक 19–02–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 1045/2012–13 अपील

1– राजबहादुर सिंह पुत्र मणिराज सिंह
ग्राम तिलखन तहसील सिरमौर जिला रीवा
2– सीतादेवी पत्नि पूर्णप्रताप सिंह ग्राम बडखड़ा
तहसील चोहरट जिला रीवा हाल मुकाम
ग्राम तिलखन तहसील सिरमौर जिला रीवा ----आवेदकगण

विरूद्व

1– जयरामसिंह पुत्र जर्नादन सिंह
2– त्रिवेणी सिंह पुत्र जनार्दन सिंह
दोनों ग्राम जोखहा तहसील सिरमौर जिला रीवा
3– चित्रसेन पुत्र मुनिराजसिंह ग्राम तिलखन तहसील सिरमौर
हाल निवास ग्राम बेला तहसील अमरपाटन जिला सतना --अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक - श्री के.के.मिश्रा)
(अनावेदकगण के अभिभाषक-श्री श्यामविहारी)

आ दे श

(आज दिनांक 11 - 8–2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 1045/2012–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 19–2–14 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि उभय पक्ष के बीच सामिलाती भूमि के स्वत्व वावत् मान. चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश, रीवा के न्यायालय से प्रकरण कमांक 8 ए /1993 आदेश दिनांक 14-12-2002 से राजीनामे के आधार पर निर्णीत हुआ, जिसके पालन में तहसीलदार सिरमौर के न्यायालय में प्रकरण कमांक 64 अ-6/ 2005-06 पॅजीबद्ध हुआ एंव आदेश दिनांक 22-9-2009 से पक्षकारों के बीच भूमि का नामान्तरण किया गया। इस आदेश से दुखी होकर अनावेदक कमांक 1 एंव 2 ने अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर ने प्रकरण कमांक 56 अ-6/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 9-4-2013 से अपील अस्वीकार की। अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 1045/12-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-2-2014 से अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर का आदेश दिनांक 9-4-2013 एंव तहसीलदार सिरमौर का आदेश दिनांक 22-9-2009 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण उभय पक्ष की सुनवाई कर पुनः नियमानुसार बटवारा आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया । अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों में आये तथ्यों के अवलोकन से परिलक्षित है कि मान. चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश, रीवा के प्रकरण कमांक 8 ए /1993 में उभय पक्ष के बीच हुये राजीनामा के अधार पर पारित आदेश दिनांक 14-12-2002 से प्रकण निर्णीत हुआ है। तद्नुसार सामिलाती भूमि कुल 8 के हिस्सा 1/2 एंव 1/2 का अमल शासकीय अभिलेख में किये जाने हेतु तहसील न्यायालय में प्रकरण कमांक 64 अ-6/2005-06 पॅजीबद्ध करके कार्यवाही की गई है। तहसीलदार सिरमौर के आदेश दिनांक 22-9-2009 का अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने परीक्षण करने पर

पाया है कि तहसीलदार सिरमौर ने प्रकरण में इस्तहार जारी करने का आर्डरशीट दिनांक 17.2.2006 में अंकन किया है किन्तु इस्तहार जारी नहीं किया गया है । तहसीलदार के समक्ष जो खसरे प्रस्तुत किये गये है हैं खसरा वर्ष 2008-09 में सर्वे नंबर 147/1 राजबहादुर सिंह बसरह नं. 142 तथा 147/2 शासकीय दर्ज है । वसरह नं. 142 की भूमि जयराम सिंह वगैरह , वसरह नं. 141 सन 2007-08 के खसरा में जयराम सिंह, त्रिवेणी सिंह पिता जनार्दन सिंह आधा भाग तथा भूमिस्वामी राजबहादुर सिंह पिता मणिराज सिंह आधा भाग दर्ज है। खसरा नंबर 142 लगायत 150 तक में वसरह 141 के अनुसार खातेदार का नाम कालम नं. 3 में उल्लेखित है। खसरा नंबर 275 एंव 280 में जयराम सिंह वगैरह के नाम दर्ज है जिन पर से तहसीलदार ने नामान्तरण कार्यवाही की है एंव अंकित भूमिस्वामियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है जिसके कारण तहसीलदार द्वारा की गई नामान्तरण कार्यवाही नियम एंव प्रकिया के विरुद्ध होना मानकर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 1045/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-2-14 से अनुविभागीय अधिकारी एंव तहसीलदार के आदेशों को निरस्त कर सभी हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रृटि नहीं हैं। तहसीलदार सिरमौर के समक्ष उभय पक्ष को अपना-अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 19-2-14 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्र0 क0 1045/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-2-14 उचित होने से यथावत् रखा जाता है एंव निगरानी निरस्त की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर